तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 76/2022 बअनवान सेहजगर बनाम तहसीलदार शिव	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 25.07.2023

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री हरीराम चौधरी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस की खातेदारी भूमि को दो टुकड़ों में विभाजित की गई। अपीलाधीन रास्ता जन कल्याण हेतु नहीं है अपितु व्यक्ति विशेष के हितार्थ है जिनका उद्देश्य अपीलांट को नुकसान पहुंचाने का है उरतदाता व हल्का पटवारी व तहसीलदार शिव अन्य राजनैतिक पहुंच वाले लोगों से मिलिभगत कर आलोच्य आदेश पारित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश से सरकार को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। अपीलाधीन आराजी खनिज संभावित क्षेत्र है जिसमें से रास्ता प्रस्तावित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन आराजी राजस्व रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से पहाड़ दर्ज है। रास्ता किसको दिया जा रहा है?, कदमी रास्ता है या नहीं? आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट नहीं है। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को हथियार बनाकर अपीलाधीन आदेश से सरकार को नुकसान पहुंचाया गया। जानबुझकर सरकारी संपति को नुकसार पहुंचाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। अतः अपील स्वीकार की जाती है तो मुझे कोई आपति नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत पत्रावली में अपीलाधीन आदेश से कदमी रास्ते को पृथक से खसरा संख्या कायम कर किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करते हुए अपीलाधीन आराजी संबंधित खातेदार की ही रखी गई है। अपीलाधीन आदेश कौनसे अधिनियम के तहत पारित किया गया आदेश में उल्लेखित नहीं है फिर भी आदेश की भाषा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क नहीं है। इसलिए हस्तगत प्रकरण हाजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। इसलिए अपीलांटस सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। आदेश सरे इजलाश में दिनांक 25.07.2023 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर